

कार्यालय अधिष्ठाता

चन्दूलाल चन्द्राकर स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय कचान्दूर, दुर्ग (छ.ग.)- 490024

(पूर्व नाम- चन्दूलाल चन्द्राकर स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय कचान्दूर, दुर्ग, छ.ग.)

क्रमांक/ FINACC-38029/1393/2026-PURCHASE SECTION (GMC DURG)

दुर्ग, दिनांक 16.09.2026

// प्राक्कलन सूचना //

चन्दूलाल चन्द्राकर स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, दुर्ग के विभिन्न विभागों के उपयोग हेतु केमिकल/रियेजेंट एवं ग्लासवेयर सामग्री क्रय किया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु इच्छुक फर्मों से सीमित निविदा पद्धति के अंतर्गत बंद लिफाफे में दरें (प्राक्कलन) आमंत्रित की जाती है। केमिकल/रियेजेंट एवं ग्लासवेयर सामग्री हेतु निम्न सूची अनुसार दर बंद लिफाफे में प्रस्तुत किया जाना है :-

SL.	Item Code	Item Name	SKU	Rate Each Unit/Pack	GST @	Total Cost Per Unit/Pack
1	NC 285	Spirit	5 liter			
2	NC345	Glycerine	250 ml			
3	NC366	Methanol	500 ml			
4	NC392	Carbolic Acid	5 liter			
5	NC420	Glycerol	500 ml			
6	NC 948	Formaline	4 liter			
7	C 219	Dual Test Kit for HIV & Screening	1 Kit			
8	GV3	Latex Gloves M	50 or 100 Piece Packs			
9	CN17	Distilled Water	1			
10	CN51	Test Tube holder	Single Unit			
11	HIVIV	HIV Rapid Tests IV Generation	1 Test			
12	LABC06	Cryo Vial 1.8/2ml	1			
13	LPCVTLM01	Triple Layer Mask	Single Pack			
14	NC100	Anatomical Mask 2	1			
15	SFM01	Triple Layer Mask	Single Pack			

नियम एवं शर्तें :-

- प्राक्कलन के प्राप्त दर की वैधता एक वर्ष तक मान्य रहेगी। प्रस्तुत दरों पर आवश्यकता की दशा में आदेश किये जाने पर पूरे वर्ष कार्य किया जाना होगा।
- प्राक्कलन के साथ जी.एस.टी. या कोई अन्य टैक्स हो तो स्पष्ट उल्लेख अवश्य करें।
- सामग्री उच्च गुणवत्ता की प्रदाय की जानी होगी। निम्न गुणवत्ता की सामग्री प्रदाय करने अथवा उपयोगकर्ता विभाग द्वारा गुणवत्ता के संबंध में शिकायत की दशा में उक्त सामग्री स्वयं के व्यय पर वापस ले जाना होगा।
- उक्त आपूर्ति में निर्माता/अधिकृत विक्रेता उक्त रूचि की अभिव्यक्ति में सम्मिलित हो सकते हैं।

05. आवेदित/चयनित फर्म के राज्य शासन या उसके किसी भी संस्था अथवा विभाग द्वारा फर्म को काली सूची (Black Listed) में होने की जानकारी की दशा में ऐसे फर्म का आवेदन निरस्त कर दिया जावेगा ।
06. समस्त क्रय की प्रक्रिया छ.ग.भण्डार क्रय नियम 2002 अथवा प्रचलित शासन के भण्डार क्रय नियम/शासकीय नियम के अनुसार शासित होंगे ।
07. अतः उपरोक्तानुसार प्रस्ताव/भावपत्र मुहरबंद लिफाफे में वेबसाईट में जारी दिनांक से 07 दिवस के भीतर कार्यालयीन समय संध्या 5.00 बजे तक जमा किया जाना अनिवार्य होगा । विलंब से प्राप्त कोटेशन/प्रस्ताव मान्य नहीं किये जावेंगे ।

Digitally signed by
Tripti Nagaria
Date: 18-09-2026
15:53:21

अधिष्ठाता
शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय
कचान्दूर, दुर्ग (छ.ग.)